(2)

संख्या– /XXII/2011–1(5)2005

प्रेषक,

डा0 उमाकांत पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग देहरादूनः दिनांक 13 मई, 2011

विषयः– **उत्तराखण्ड में पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को राज्य कर्मचारियों की भांति प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–129/XXII/2006–1(5)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को परिवार सहित राज्य कर्मचारियों की भांति प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने तथा प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर कराई गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 2006 द्वारा की गई व्यवस्था को संशोधित करते हुये निम्नांकित निर्देश किये जाने के श्री राज्यपाल महोदय आदेश प्रदान करते है :–

क्र. स.	प्रतिपूर्ति दावें की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	रू0 40,000.00 तक	राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य अधीक्षक जहां उपचार अथवा जहां से सन्दर्भित किया गया हो, अशासकीय चिकित्सालयों के प्रकरण में राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी।	कार्यालयाध्यक्ष
2	रू0 40,000.00 से अधिक किन्तु रू0 1,00,000.00 तक	उपचार प्रदान करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।	विभागाध्यक्ष
3	रू0 1,00,000.00 से अधिक किन्तु रू0 2,00,000.00 तक	कुमाऊँ मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल मण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	शासन के प्रशासकीय विभाग।
4	रू0 2,00,000.00 से अधिक	कुमाऊँ मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल मण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से।

2– **चिकित्सा उपचार के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्यता :–**

(i) **प्रदेश के भीतर चिकित्सा उपचार :–**

(क) प्रदेश के भीतर राजकीय चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने पर अनुमन्य मदों पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। सामान्य बीमारी अथवा सामान्य दवा के कैश मेमो पर प्रतिपूर्ति अस्वीकार की जाय।

(ख) प्रदेश स्थित चिकित्सालयों द्वारा उपचार के दौरान ऐसी उपचार प्रणालियों/परीक्षणों जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो, प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा सन्दर्भित किये जाने पर गैर सरकारी चिकित्सालयों में किये गये उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर की जायेगी।

(ग) प्रदेश के भीतर गैर सरकारी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम में कराई गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति उन दरों पर की जायेगी जिन दरों पर इस प्रकार की चिकित्सा राजकीय चिकित्सालयों, में कराने पर व्यय आता है। प्रतिपूर्ति की धनराशि वास्तविक दावे अथवा सरकारी चिकित्सालय में उक्त उपचार हेतु व्यय की धनराशि/दरों में से जो भी कम हो, देय होगी किन्तु ऐसी उपचार प्रणालियां/परीक्षण जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध न हो, पर व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(घ) रूटीन बीमारियों का सरकारी चिकित्सालयों से इतर उपचार कराने हेतु प्राधिकृत चिकित्सक का संदर्भण आवश्यक होगा।

(ii) **प्रदेश के बाहर विशेषज्ञ चिकित्सा :–**

असाध्य एवं गम्भीर रोगों के उपचारार्थ प्रदेश स्थित चिकित्सालयों अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों में समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रदेश स्थित चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों अथवा राजकीय मेडिकल कालेज के संबंधित रोग के विशेषज्ञ, जो प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष से निम्न स्तर का न हो, की संस्तुति पर प्रदेश के बाहर **केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स), डा. राममनोहर लोहिया हास्पीटल, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी.जी.आई.), चण्डीगढ़ में ही उपचार की अनुमति शासन द्वारा दी जा सकेगी और चिकित्सा विभाग के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की संस्तुति पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। प्रदेश के बाहर उक्त संस्थानों में उपचार पर किये गये प्रतिपूर्ति दावों की अधिकतम धनराशि रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) तक अनुमन्य होगी।** आपाताकालीन स्थिति में समयाभाव के कारण, यदि किसी रोगी को बिना पूर्वानुमति के उपचार प्रदान करने वाली संस्था का आकस्मिकता संबंधी प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात् के आकस्मिकता संबंधी प्रमाण–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3– प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया भी निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते है :–

(i) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने हेतु चिकित्सक/संस्था जिसके द्वारा उपचार प्रदान किया गया, से संलग्न अनिवार्यता प्रमाण–पत्र के प्रारूप पर, बाउचर सत्यापित कराकर व सक्षम स्तर पर संदर्भण प्रमाण–पत्र जो उपचार आरम्भ होने की तिथि से अनुवर्ती तिथि का न हो तथा आपातकालीन परिस्थिति का प्रमाण–पत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जैसी स्थिति हो, को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दावों पर विचार नहीं किया जायेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रस्तर–2 के अनुसार दावों को

प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करेगें। यदि संदर्भण उपचार आरम्भ होने की अनुवर्ती तिथि के हों, तो ऐसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें ग्राहय् नहीं होंगे।

(ii) उपर्युक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रत्येक दावे के साथ यह प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा कि परीक्षण चिकित्सा परिचर्या नियमावली/संगत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है तथा प्रतिपूर्ति हेतु जो दरे प्रमाणित की गयी हैं, वे नियमानुसार वास्तविक दरें हैं। साथ ही दावा प्राप्त होने के पश्चात् शासनादेश मे निहित प्राविधानों के अनुरूप विलम्बतम् एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण कराकर प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगें जो संबंधित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृत आदेश प्राप्त करेंगें।

(iii) प्राधिकृत चिकित्सक के सन्दर्भ में उन उपचार प्रणलियों/परीक्षणों, जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में न उपलब्ध हो प्रदेश स्थित गैर सरकारी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार परीक्षण की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दरों पर अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, तभी अनुमन्य होगी जब प्रतिहस्ताक्षरार्थ अधिकारी द्वारा यह प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि राजकीय चिकित्सालयों में उक्त उपचार प्रणालियां/परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

4– उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण होना अनिवार्य होगा :–

चेक लिस्ट

- समस्त बिल/वाउचर की मूल प्रतिलिपि संलग्न हो।
- समस्त बिल/वाउचर चिकित्सक द्वारा सत्यापित हो।
- अनिवार्यता प्रमाण–पत्र संलग्न हो।
- अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न हो।
- अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर के तिथियों के ही बिल वाउचर का भुगतान किया जायेगा।
- अनिवार्यता प्रमाण–पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
- प्रदेश से बाहर के चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराये जाने की दशा में प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति दी जानी होगी।

5– यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगें तथा शासनादेश संख्या–129/XXII/2006–1(5)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

6– यह आदेश वित्त विभाग अ.शा. पत्र सं.–18/NP/XXVII(5)/2011 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 उमाकांत पंवार)
सचिव।

पृ0संख्या—149 (1)/XXII/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4— आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
5— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
6— समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षिका पुरूष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।